न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

वाद संख्या 98/2016

1. श्रीमती नाजिमा खान पत्नि श्री शब्बीर खान जाति मुसलमान निवासी प्लाट नंबर 10, राजहंस कॉलोनी, ब्रहमपुरी, जयपुर।
2. गिरीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोरमुकुट अग्रवाल जाति महाजन निवासी 8/219, विद्याधर नगर जपुर हाल निवासी 7/70 विद्याधर नगर जयपुर।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं धारा 111 व 128 एल0आर0 एक्ट 1956

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

निर्णय दिनांकः— 4/10/18

यह कि वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे हाल खसरा नंबर 303 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 304 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नंबर 305 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर की खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर गैर मु0 शमशान जिसका मौके पर शमशान भूमि के रूप में उपयोग नही है। ''खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर गैर मु0 शमशान वादपत्र में वादग्रस्त है।'' पूर्व में खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में अन्य खसरा नंबरान के साथ वादी संख्या 1 के नाम दर्ज था। जिसे वादी संख्या 2 ने अन्य खसरा नंबरान के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2005 के द्वारा वादी संख्या 1 से क्रय किया है। जिस पर वर्तमान में वादी संख्या 2 काबिज काश्त है। वादी संख्या 1 द्वारा अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि शमशान के लिए रखते हुए शेष 0.39 हैक्टेयर भूमि श्री उमराव चंद डागा पुत्र श्री अमोलक चंद डागा को बेचान किया गया था। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा नंबर 306 रकबा 0.39

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

हैक्येयर भूमि की खातेदारी उमराव चंद डागा के नाम तथा शेष खसरा नंबर 306/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर वादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.09.2014 को राजहित में समर्पित करने पर नामान्तकरण संख्या 364 दिनांक 01.12.2014 द्वारा गैर मु0 शमशान स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। तदनुसार पटवार लट्ठा नक्शा में भी तरमीम हो चुकी है जो कि मौका अनुसार सही है और वर्तमान में ग्रामीणो द्वारा खसरा नंबर 306 रकबा 0.12 हैक्टैयर भूमि का शमशान हेतु उपयोग किया जा रहा है। वादी संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 303 का संपूर्ण रकबा 0.58 हैक्टेयर वादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय किया गया है तथा वादी संख्या 1 को शमशान भूमि के उपयोग से संबंधित खसरा नंबर की सही जानकारी नही होने की वजह से खसरा नंबर 303 में से रकबा 0.12 हैक्टैयर भूमि का भूलवश सहवन से समर्पणनामा राजहित में कर दिया गया, जबकि उक्त खसरा नंबर 303 के संपूर्ण रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि का बेचान वादी संख्या 1 द्वारा वादी संख्या 2 को की गई है जो कभी भी शमशान भूमि के रूप में उपयोग में नही हुई। वादी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि में से उमरावचंद डागा को 0.39 हैक्टेयर विक्रय की गई थी तथा शेष 0.12 हैक्टेयर भूमि जो बेची नही गई थी का समर्पणनामा वादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.09.2014 को प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साथ ही प्रार्थना पत्र में अंकित किया था कि पूर्व में सहवन से खसरा नंबर 303 में वादी संख्या 1 द्वारा समर्पण की गई रकबा 0.12 हैक्टैयर भूमि का समर्पणनामा भूलवश सहवन से हुआ है जो कि गलत है जिसे दुरूस्त किया जावें। परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई गौर नही किया गया जिसे वादी संख्या 2 के खसरा नंबर 303 का रकबा 0.58 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.46 हैक्टैयर का ही नामान्तकरण किया गया जबकि वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूलवश हुए समर्पणनामा जो कि खसरा नंबर 303 के रकबा 0.12 हैक्टैयर बाबत किया था के बारे में संपूर्ण जानकारी करवा दी थी तथा लिखित में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर तनीक भी गौर नही कर विधि विरूद्ध तरीके से खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टैयर में से बटा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि कम कर राजस्व रेकार्ड में गैर मु0 शमशान अंकित कर दिया। वादी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर सपूंर्ण वादी संख्या 2 को विक्रय की है तथा जानकारी

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

के अभाव में समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 में खसरा नंबर 306 के स्थान पर खसरा नंबर 303 में से 0.12 हैक्टेयर त्रुटिपूर्ण अंकन हो जाने से भूमि राजहित में समर्पित की गयी, जिसके संशोधन में वादी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 306 में से रकबा 0.12 हैक्टेयर समर्पणनामा दिनांक 19.09.2014 को प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हो चुका है। अतः खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टैयर भूमि के समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 को तत्समय से ही निष्प्रभावी एवं शुन्य घोषित करवाकर वादी संख्या 1 व 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार वादी संख्या 2 की खातेदारी मे कानूनन घोषित कराने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष कई मर्तबा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी उक्त इन्द्राज दुरूस्त नही किये तथा हर बार वादीगण को यह विश्वास दिलाते रहे कि राजस्व कैम्प में कर देगें। दिनांक 20.06.2016 को वादी संख्या 2 ने न्याय आपके द्वार नृसिंहपुरा में उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया जिससे व्यथित होकर वादी को यह वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये बाद तामील पैरोकार सरकार उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश किया। वादीगण स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये।

वादीगण अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नृसिंहपुरा में राजकीय शमशान भूमि नही होने से ग्रामवासियो द्वारा वादी संख्या 1 नाजिमा खान से अपनी खातेदारी की भूमि में से शमशान भूमि राजहित में समर्पित करने हेतु अनुरोध करने पर वादी संख्या 1 द्वारा ग्रामवासियो की सुविधा सबंधित परमार्थ को ध्यान मे रखते हुए अपनी खातेदारी भूमि में से राजहित में शमशान हेतु भूमि समर्पण हेतु तहसीलदार सांगानेर कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तत्समय सहवन से समर्पणनामा में गलत खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि का समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 को तस्दीक हो गया जिसका नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 25.03.2010 की स्वीकृति उपरान्त राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ उक्त भूमि का कभी भी मौके

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

पर शमशान भूमि के रूप में उपयोग नही हुआ है। तत्समय दिनांक 13.08.2004 से ही उक्त समर्पणनामा को प्रभावशुन्य घोषित किया जावें, मौके पर वादी संख्या 1 की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि में से 0.12 हैक्टेयर भूमि शमशान भूमि के रूप में ग्रामवासियो द्वारा उपयोग में ली गई एवं शेष 0.39 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में रही। वादी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर का बेचान अन्य खसरा नंबरान के साथ वादी संख्या 2 गिरीश कुमार अग्रवाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2005 द्वारा कर दिया गया। तथा खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टैयर शमशान भूमि के लिए छोडने के पश्चात शेष रही भूमि 0.39 हैक्टेयर भूमि उमरावचंद डागा को बेचान कर दिया। ग्रामवासियो द्वारा शमशान भूमि मे सुविधा संबंधित विकास करने हेतु कार्य प्रारंभ करने पर जानकारी में आया कि खसरा नंबर 306 रकबा 0.12 हैक्टयर भूमि शमशान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। सहवन से खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टैयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि शमशान के नाम दर्ज हो गई जो गलत है। ग्रामवासियों द्वारा पुनः कहने पर वादी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 306 रकबा 0.58 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टैयर भूमि शमशान हेतु पुनः तहसील कार्यालय में दिनांक 19.09.2014 को उपस्थित होकर समर्पणनामा तस्दीक कराया गया तथा श्रीमान तहसीलदार महोदय से खसरा नंबर 303 में से हुए सहवन से समर्पणनामा को निरस्त करने का निवेदन करने पर उनके द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहने पर वादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2014 को पेश किया गया। (जिसकी प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है) जिस पर प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है तथा वादी संख्या 1 द्वारा आम ग्रामीण जन की सुविधा एवं धार्मिक भावना से प्रेरित होकर शमशान भूमि हेतु समर्पण किया गया है। सहवन से समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 में खसरा नंबर 306 में से 0.12 हैक्टेयर के स्थान पर गलत खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टैयर त्रुटिपूर्ण अंकन हो जाने से भूमि समर्पित हो गई हैं उसे निरस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है। क्योकि वादी संख्या 1 द्वारा शमशान भूमि के रूप में उपयोग ली जा रही अपनी अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि राजहित दिनांक 19.09.2014 को समर्पित कर दी गई है। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम हो चुकी है एवं

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

मौके पर ग्रामीण जन द्वारा आम सहयोग से शमशान भूमि का मौके पर पूर्ण विकास किया जा चुका है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पूर्व में समर्पित भूमि खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि के संमर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 को तत्समय से शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर खसरा नंबर 303 रकबा 0.46 हैक्टैयर में शामिल कर पूर्ववत खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर किस्म बारानी ए घोषित की जाकर विक्रय पत्र अनुसार वादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावें। वादीगण अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2000–2001 राजस्थान (सपलिमेंट) पेज 245 पेश किया।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र तथ्यान्तर्गत सही है वादी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं के अनुसरण में राजहित में अपनी भूमि का समर्पण किया गया था। परन्तु समर्पणनामा अन्तर्गत सहवन से अलग खसरा नंबर का अंकन हो गया है जो समर्पित रकबा 0.12 हैक्टेयर की समानता से स्पष्ट है कि समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 तस्दीक करते समय काश्तकार की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड अन्तर्गत गम्भीर .त्रुटि हुई है जो मौके पर खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेंयर का शमशान भूमि के रूप में उपयोग नही होने एवं खसरा नंबर 306/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि का मौके पर शमशान भूमि के रूप में उपयोग होने से प्रमाणित होता है। वादीगण राजस्व रेकार्ड में समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 के पूर्व के अनुसार नवीन स्वामित्व एवं प्रविष्टियों के अधिकारी है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व वादपत्र एवं जवाब वादपत्र व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से स्पष्ट है कि ग्राम नृसिंहपुरा में राजकीय शमशान भूमि नही होने पर वादी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से शमशान भूमि उपयोग हेतु सदभाव से राजहित में भूमि समर्पित की गई है। समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 में "खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 हैक्टेयर" के स्थान पर "खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर" त्रुटीपूर्ण अंकन हुआ है। जिसका मौके पर शमशान भूमि के रूप में उपयोग नही लिया जाना प्रकट होने पर एवं मौके पर शमशान भूमि के रूप में उपयोग लिये जाने से वादी संख्या 1 द्वारा अपने खसरा नंबर 306 रकबा 0.51 हैक्टेयर में से

उप-खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

0.39 हैक्टेयर विक्रय की गई है एवं शेष खसरा नंबर 306/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर समर्पणनामा दिनांक 19.09.2014 द्वारा शमशान भूमि हेतु समर्पित की गई है। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में पुष्टि की गई है कि खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर का शमशान भूमि के रूप में उपयोग कभी नही हुआ है तथा खसरा नंबर 306/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि का मौके पर शमशान भूमि के रूप में उपयोग हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादी द्वारा खण्डन नही हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब वादपत्र में माननीय न्यायालय एसीजेएम क्रम संख्या 13 महानगर जयपुर के मुकदमा नंबर 292/2012 के स्थगन आदेश का उल्लेख किया है कि परन्तु तत्संबंधित दस्तावेजात न्यायालय में प्रस्तुत नही किये है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2000–2001 राजस्थान (सपलिमेंट) पेज 245 में यह स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वाद का प्रतिरोध (खण्डन) नही किया गया और ना ही कोई साक्ष्य पेश किये हो तो वहां पर न्यायालय द्वारा वादीगण वाद डिक्री किये जाने के अलावा कोई विकल्प नही है। उक्त के अलावा पत्रावली में संलग्न समर्पणनामा दिनांक 19.09.2014 में की गई इबारत से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी संख्या 1 द्वारा भूलवश खसरा नंबर 303 में से रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि का समर्पण कर दिनांक 13.08.2004 को किया गया जबकि मौके पर शमशान हेतु खसरा नंबर 306/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि काम में ली जा रही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं वादी संख्या 1 द्वारा सहवन से खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर में से सपर्पित किया गया रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि का समर्पणनामा दिनांक 13.08.2004 तत्समय से ही निष्प्रभावी एवं शुन्य घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर गैर मु0 शमशान को खसरा नंबर 303 रकबा 0.46 हैक्टेयर किस्म बारानी ए में शामिल करते हुए पूर्ववत खसरा नंबर 303 रकबा 0.58 हैक्टेयर किस्म बारानी ए वादी संख्या 2 के नाम दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/18 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर
द्वितीय, जयपुर

Scanned by CamScanner